

18.08.2020

प्रार्थना

पत्र

18.08.2020 प्रार्थीया संख्या 2 स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए वर्तमान स्तर पर खारिज करते हुए दाखिल दफ्तर करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीया की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 30.07.2020 को जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाकर पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल मूल वाद संख्या 154/2020 अनवानी भाविका बनाम विजय कुमार के साथ संलग्न हो।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़